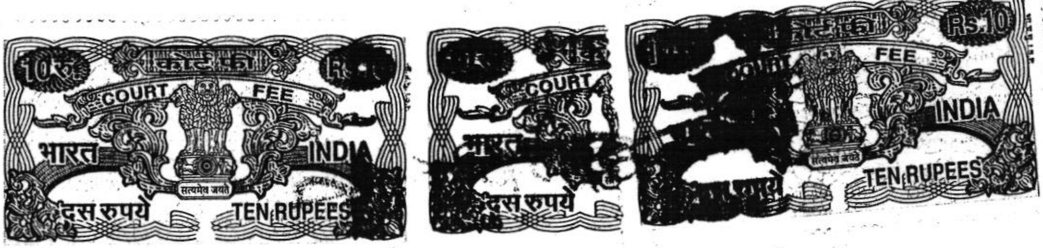


(41)

नवीन पु.. 3907/2017

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /17 रि. I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/3907

गनेश राम पुत्र हल्कुराम आयु 50 वर्ष जाति हरिजन (चमार) निवासी ग्राम – पवई कुरवाई कृषक ग्राम वांकागढ तहसील गंज बासौदा, जिला विदिशा (म0प्र0)

**आवेदक**

**वनाम**

घासीराम पुत्र मानसिहं आयु 50 वर्ष जाति मैना निवासी ग्राम वांकागढ जिला विदिशा (म0प्र0)

**अनावेदक**

श्रीमान

**पृष्टीकरण के आधार पर आदेश दिनांक 28/06/2017 के विरूध रिविजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.राजस्व संहिता**

1 यह कि आवेदक एवं अनावेदक मेडिया कृषक है। दोनो की भूमियाँ लगी हुई है, ग्राम वांकागढ तहसील बासौदा जिला विदिशा के भूमि सर्वे क्रमांक 25 रकवा 0836 हेक्टेयर भूमि का मालिक अनावेदक है। एवं आवेदक की भूमि का सर्वे क्रमांक 27 रकवा 0721 हेक्टेयर है।

2 यह कि आवेंदक ने भी अपनी भूमि का सीमांकरण कराने की कार्यवाही की थी मोके पर दिनांक 08/05/2017 को षटवारी एवं आर. आई ने आवेदक आवेदक के सर्वे नं. 26 कें रकवा 0721 का सीमांकन नही किया और अनावेदक का सीमाकंन नियमो के विपरीत करके आवेदक की भूमि क्रमांक 26 में 2 बीघा 10 विश्वा भूमि आवैध कब्जे में वता कर रिर्पोट तह. न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है और इसी रिर्पोट पर कब्जा वापिस लेने की कार्यवाही भीं अनावेदक ने आवेदक के वांकागढ विरोध. तह. न्यायालय बासौदा मैं कर दी है। इसी से परिवेदिक होकर वह रिविजन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3907

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |

(51)